पत्रांक : 5प / स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05 / 2021 (खंड) / 34(आ०) / पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
अपर सचिव

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 18 / 7 / 2025

विषय : वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 29(स्वी०) दिनांक 18.07.2025 द्वारा स्वीकृत षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायकों / डाटा इंट्री ऑपरेटरों, तकनीकी सहायकों एवं लेखापाल–सह–आई०टी० सहायकों के मानदेय के भुगतान हेतु कुल ₹4,55,61,96,000.00 (चार अरब पचपन करोड़ ईकसठ लाख छियानवे हजार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 29(स्वी०) दिनांक 18.07.2025 द्वारा षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत ग्राम पंचायतों के सामान्य निधि मद की देय अनुदान राशि में से ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायकों / ग्राम पंचायत डाटा इंट्री ऑपरेटरों, तकनीकी सहायकों एवं लेखापाल–सह–आई०टी० सहायकों के मानदेय के भुगतान हेतु उक्त स्वीकृत्यादेश के कंडिका–03 के अनुरूप कुल ₹4,55,61,96,000.00 (चार अरब पचपन करोड़ ईकसठ लाख छियानवे हजार रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायकों / ग्राम पंचायत डाटा इंट्री ऑपरेटरों, तकनीकी सहायकों एवं लेखापाल–सह–आई०टी० सहायकों को मानदेय की भुगतान हेतु कुल ₹4,55,61,96,000.00 (चार अरब पचपन करोड़ ईकसठ लाख छियानवे हजार रूपये) मात्र की राशि निम्नरूपेण आवंटित की जाती है :–

राशि रूपये में

क्र०	जिला का नाम	कुल स्वीकृत राशि
1	*2*	*3*
1	अररिया	129660000.00
2	अरवल	34440000.00
3	औरंगाबाद	119052000.00

D:\MS EXCEL\MS Excel\Allotment\Allotment 2025-26\Estb & Commt Exp\6th SFC 2025-26\Letter docx

4	बाँका	93204000.00
5	बेगूसराय	114348000.00
6	भागलपुर	136800000.00
7	भोजपुर	133776000.00
8	बक्सर	75468000.00
9	दरभंगा	178956000.00
10	गया	164544000.00
11	गोपालगंज	131472000.00
12	जमुई	82536000.00
13	जहानाबाद	53244000.00
14	कैमूर	81828000.00
15	कटिहार	132048000.00
16	खगड़िया	69624000.00
17	किशनगंज	75516000.00
18	लखीसराय	39720000.00
19	मधेपुरा	93288000.00
20	मधुबनी	228132000.00
21	मुंगेर	59004000.00
22	मुजफ्फरपुर	210204000.00
23	नालन्दा	126168000.00
24	नवादा	94620000.00
25	पश्चिम चम्पारण	178884000.00
26	पटना	149988000.00
27	पूर्वी चम्पारण	234144000.00
28	पूर्णिया	134808000.00
29	रोहतास	136020000.00
30	सहरसा	71376000.00
31	समस्तीपुर	199008000.00
32	सारण	175728000.00
33	शेखपुरा	26592000.00
34	शिवहर	35064000.00
35	सीतामढ़ी	151728000.00
36	सिवान	173232000.00
37	सुपौल	107676000.00
38	वैशाली	124296000.00
कुल		**4556196000.00**

चार अरब पचपन करोड़ ईकसठ लाख छियानवे हजार रूपये मात्र

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0009–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान" के विषय शीर्ष –0009.31.04–सहायक अनुदान–वेतन' से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या–16 एवं विपत्र कोड 16–2515001980009 है।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो आवंटित राशि का व्यय एवं उपयोग विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 29(स्वी०) दिनांक 18.07.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में करेंगे। राशि की निकासी CFMS के माध्यम से संबंधित जिले के जिला कोषागार से नियमानुसार करते हुए ग्राम पंचायत के कार्यपालक सहायकों/ग्राम पंचायत डाटा इंट्री ऑपरेटरों, तकनीकी सहायकों एवं लेखापाल–सह–आई०टी० सहायकों के मानदेय का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही नियमानुसार आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं पत्रांक 227 दिनांक 28.03.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2021 (खंड) के पृष्ठ संख्या ......52/टि० दिनांक 18/07/2025 पर प्राप्त है।

10. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(नज़र हुसैन)
अपर सचिव

D:\MS EXCEL\MS Excel\Allotment\Allotment 2025-26\Estb & Commt Exp\6th SFC 2025-26\Letter.docx 137

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2021 (खंड)/34(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 18/7/25
प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–03, 05 एवं 07(उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग), पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/7/25
(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2021 (खंड)/34(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 18/7/25
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/7/25
(नजर हुसैन)
अपर सचिव